न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/18/2017	2017/00209	10.03.2017	09.12.2025

1.सरकार जरिये दिनेश चौबे प्रवर्तन निरीक्षक, मुख्यालय अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.अज्ञात।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976, कैरोसीन (उपयोग पर निर्बधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के तहत 300 लीटर कैरोसीन एवं जीप न0 आर0जे0—05—सी—3224 को राजसात करने बाबत्।

अनुपस्थितः—
01. श्री दिनेश चौबे प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि
02. अप्रार्थीगण —अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976, कैरोसीन (उपयोग पर निर्बधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के तहत 300 लीटर कैरोसीन एवं जीप न0 आर0जे0—05—सी—3224 को राजसात करने हेतु पेश किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 24.02.2017 को दिये गये निर्देश की अनुपालना में केरोसीन के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर प्रवर्तन स्टॉफ जांच हेतु मौके पर पुलिस थाना रैणी पर पहुंचा। पुलिस थाना रेणी के एस. एच.ओ. ने तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत की। एस.एच.ओ. रेणी द्वारा दी गई तहरीर रिपोर्ट के आधार एक जीप नं० आरजे 05—सी—3224 को गांव चांदपुर, पंचायत समिति रेणी में जब्त किया गया जिसमें दो ड्रम रखे थे। जिनमें नौला केरोसीन भरा होना पाया गया। मौके पर थाना परिसर रेणी में खड़ी जीप नं० आरजे—05—सी—3224 की जांच की गई। एक दूग हे पास जमीन में रखा हुआ तथा एक ड्रम जीप के अन्दर पाया गया। दोनों ड्रमों को खोलकर देखने पर दोनों ड्रगों में तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया। प्रारंभिक अनुमान से यह तरल पदार्थ केरोसीन हो सकता है। दोनों ड्रमों में कुल 300 लीटर तरल पदार्थ पाया गया। तरल पदार्थ के सैम्पल कांच की बोतलों में लिए गए एवं सील चपड़ी लगाई गई। जिसकी मात्रा दो सैम्पल थानाधिकारी रैणी एवं एक सैम्पल स्वयं के पास रखा गया। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा केरोसीन (उपयोग पर निर्बधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की स्पष्ट अवहेलना है, जो दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण रामरत 300 लीटर केरोसीन को मय जीप नं० आरजे 05—सी—3224 को जब्त किया जाकर 300 लीटर केरोसीन तेल को श्री शिवशंकर शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार रेणी को एवं जीप नं० आरजे05—सी—3224 को थानाधिकारी रेणी को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 300 लीटर केरोसीन को मय जीप न० आरजे 05 सी—3224 को राजसात करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। बाबजूद रजिस्टर्ड तलवी अप्रार्थी अनुपस्थित।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर से जीप न0 आर0जे0–सी–3224के मालिक के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार **जीप न0 आर0जे0–सी–3224 श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री श्रीचन्द निवासी ग्राम दांतलौठी, तहसील डीग, जिला भरतपुर के नाम पाई गई। श्री रघुनाथ सिंह को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, नोटिस प्राप्ति के बाद श्री रघुनाथ ने उपस्थित न्यायालय होकर जबाव पेश किया।** जो निम्न प्रकार है कि प्रार्थी को उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में उक्त विषयान्तर्गत नोटिस क्रमांक कोर्ट/ए डी एम द्वितीय/2022/526 दिनांक 16–05–2022 प्राप्त हुआ है। उपरोक्त नोटिस में वाहन संख्या आर जे 05 सी 3124 गलत अंकित किया है, जिस वाहन से मिन प्रार्थी का कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है। मिन प्रार्थी वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 05 सी 3224 मार्शल जीप 2000 डी आई 2 डब्ल्यू डी इंजिन नम्बर 24के76486 चेसिस नम्बर 22 के 23130 मॉडल 2002 का रजिस्टर्ड मालिक रहा है। जिस वाहन को मिन प्रार्थी द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21–01–2010 को श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री गिरधारीलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम कचावा तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला अलवर राज० को विक्रय कर दिया था। इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 21–01–2010 से मिन प्रार्थी का उपरोक्त वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 05 सी 3224 से भी कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है तथा उक्त वाहन का संचालन व उपायोग व उपभोग कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री गिरधारीलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम कचावा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज० करता चला आ रहा है। ताईद में फोटो प्रति विक्रय पत्र संलग्न है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मिन प्रार्थी को उपरोक्त नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जाकर नोटिस मनसुख फरमाया जावे। प्रार्थी रघुनाथ सिंह पुत्र श्री श्रीचन्द निवासी ग्राम दांतलौठी तहसील डीग जिला भरतपुर राज०।

श्री रघुनाथ सिंह के जबाब के बाद श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री गिरधारीलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम कचावा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राज0) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। बाबजूद रजिस्टर्ड नोटिस श्री कैलाश चन्द मीणा अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.02.2017 को प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा पुलिस थाना रैणी के सहयोग से गाँव चांदपुर में जीप नं० आरजे 05 सी 3224 को जब्त किया गया। इस जीप में दो ड्रमों में कुल 300 लीटर नौला केरोसीन अवैध रूप से भरा पाया गया। उक्त केरोसीन व वाहन को जब्त किया गया। 300 लीटर केरोसीन को उचित मूल्य दुकानदार श्री शिवशंकर शर्मा को तथा जीप को सुरक्षा हेतु थानाधिकारी रैणी को सुपुर्द किया गया। जाँच व नोटिसः प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जीप के पंजीकृत मालिक श्री रघुनाथ सिंह को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। रघुनाथ सिंह का जवाबः रघुनाथ सिंह ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उन्होंने यह वाहन विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2010 के माध्यम से श्री कैलाश चन्द मीणा को बेच दिया था। उन्होंने विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत कर स्वयं को प्रकरण के भार से मुक्त करने का निवेदन किया। कैलाश चन्द मीणा को नोटिसः रघुनाथ सिंह के जवाब के बाद, वर्तमान ऑपरेटर श्री कैलाश चन्द मीणा को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बावजूद श्री कैलाश चन्द मीणा उपस्थित नहीं हुए और अपना कोई जवाब या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। 300 लीटर केरोसीन तेल का अवैध परिवहन और संग्रहण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी नियंत्रण आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। पंजीकृत मालिक (रघुनाथ सिंह): श्री रघुनाथ सिंह ने वैध दस्तावेज (विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2010) पेश करके यह प्रमाणित कर दिया है कि घटना की तिथि (24.02.2017) से काफी पहले ही वह वाहन के कब्जेदार/ऑपरेटर नहीं रहे थे। अतः, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के तहत यह प्रमाणित होता है कि वाहन का उपयोग उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया। वर्तमान ऑपरेटर (कैलाश चन्द मीणा): श्री कैलाश चन्द मीणा, जो विक्रय पत्र के आधार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पर वाहन के वास्तविक ऑपरेटर पाए गए, रजिस्टर्ड नोटिस के बावजूद लगातार अनुपस्थित रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि उनके पास वाहन के अवैध उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। अतः, यह स्थापित होता है कि वाहन का उपयोग उनकी पूर्ण जानकारी और सहमति से आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन में किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उक्त जब्त (300 लीटर कैरोसीन एवं जीप न0 आर0जे0–05–सी–3224) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अंतर्गत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर राज0 को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जब्त (300 लीटर कैरोसीन एवं जीप न0 आर0जे0–05–सी–3224) को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें एवं अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर राज0 को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)